8-1-21

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस हेतु दि. 18-1-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

18-1-21.

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस के लिये समय चाहते हैं अतः पत्रावली बहस हेतु दि. 5-2-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 05–02–2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।

प्रार्थीगण पप्पू वगैरा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 141 जा.दी. प्रस्तुत करत हुये निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26–08–2020 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही थी क्योंकि इस अवधि में कोरोनी 19 के कारण कांमन तारीखें दी गयी थी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत करते हुये अंकित किया है कि मूल प्रकरण में दिनांक 1–7–20, 10–8–20, व 26–8–20 नियत की गयी किन्तु प्रार्थी व उनके वकील उपस्थित नहीं हुये इसलिये दिनांक 26–8–20 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया। इसके अलावा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एक बार खारिज होने के बाद पुनः नम्बर पर नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26–8–20 को खारिज किया गया है। जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 12–11–20 को प्रस्तुत किया गया हे जो अन्दर मियाद नहीं है। इसके अलावा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पक्षकारों के मध्य वाद संख्या 144/2020 प्रेमदेवी बनाम पप्पू वगैरा लम्बित है जिसमें प्रार्थी के हितों के लिये विकल्प खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 141 जा.दी. स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल पत्रावली रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)